

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 12, 1978/पौष 22, 1899
No. 10] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 12, 1978/PAUSA 22, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1978

सार्वजनिक सूचना सं. 4—आईटीसी(पी.एन)/78-मि. सं. आईपीसी/63/33/78.—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हॉंड ब्रुक 1977-78 के परिशिष्ट 27 की क्रीडका 3(1)(2) में निहित व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार भारत में स्थायी निवास के लिए लॉटने वाले भारतीय राष्ट्रकों द्वारा आयातित कार अशिक्रय अधीन आयातक द्वारा विदेश में कार खरीदने की तारीख से 5 वर्षों तक या आयात करने की तारीख से 2 वर्षों तक इनमें जो भी कम हो, के अधीन होंगी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि उपर्युक्त “अशिक्रय” अधीन भारत में स्थायी निवास के लिए आने वाली—भारतीय राष्ट्रकों के साथ विवाहित विदेशी महिलाओं द्वारा भारत में आयातित कार के लिए भी लागू होंगी।

3. इसलिए, सभी क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारियों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे सभी पिछले मामलों की पनरीक्षा करें और 5/2 वर्षों की परिशीलित "अधिकृत" अधीन को लागू करते हुए बान्ड की विमुक्ति की स्वीकृति दें अर्थात् इन आदेशों को पूर्व-प्रभावी समझें।

का. वें. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

New Delhi, the 12th January, 1978

Public Notice No. 4-ITC(PN)/78-File No. IPC/63/33/78.—Attention is invited to the provision contained in para 3(1)(ii) in Appendix 27 of the ITC Hand Book of Rules and procedure, 1977-78, according to which cars imported by the Indian Nationals returning to India for permanent settlement are governed by 'no sale' period—5 years from the date of purchase of car abroad by the importer or two years from the date of its importation, whichever is later.

2. On a review of the position, it has been decided that the same 'no sale' period as above shall also be applicable to cars imported into India by foreign ladies married to Indian nationals who come to India for permanent settlement.

3. All the regional licensing offices are, therefore, advised to undertake a review of all past cases and allow redemption of bonds by applying the revised 'no sale' period of 5/2 years, i.e. give retrospective effect to these orders.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports.